

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

**एकीकृत एम.बी.ए.(IIMBA)(पूर्णकालिक 5 वर्ष)/एकीकृत एम.सी.ए.(IIMCA)(पूर्णकालिक 5 वर्ष)/बैचलर
 इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नालॉजी(BHMCT) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु**

अर्हकारी परीक्षा (हायर सेकेण्डरी स्कूल 12वीं) के आधार पर

**आर्थिक रूप से कमजोर (ई.डब्ल्यू.एस.) सामान्य श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा समिलित करने के
 उपरान्त संशोधित ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2019-20**

द्वितीय चरण	
गतिविधियाँ	दिनांक / समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	08/07/2019 से 19/07/2019 सायं 3:00 बजे तक
दस्तावेजों का सत्यापन*	08/07/2019 से 19/07/2019 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना। प्राथमिकताक्रम(Choice filling)में परिवर्तनकी सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी	08/07/2019 से 19/07/2019 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	20/07/2019 दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता / दस्तावेजों का सत्यापन** / आवंटित संस्था में उपस्थित एवं प्रवेश	23/07/2019 से 02/08/2019 सायं 5:00 बजे तक

- काउंसलिंग प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त कर चुके मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो, उन्हें प्रवेशित संस्था से अपना प्रवेश निरस्त करवा कर, द्वितीय चरण की काउंसलिंग में समिलित होने के पूर्व, उन्हें अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण पत्र, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सत्यापित करवाना होगा।
- काउंसलिंग के प्रथम चरण में समिलित हो चुके मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो (पंजीयन करवा चुके हैं/दस्तावेजों का सत्यापन करवा चुके हैं/आवंटन के उपरान्त, आवंटित संस्था में रिपोर्ट नहीं किया हैं/आवंटन नहीं हुआ है) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें द्वितीय चरण की काउंसलिंग में समिलित होने के पूर्व, अधिकृत सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. के प्रारूप में प्रमाण पत्र, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सत्यापित करवाना होगा।

* श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) का लाभ लेने के इच्छुक अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का सत्यापन, "ऑनलाइन ई-सत्यापन" के माध्यम से नहीं हुआ है उन्हें प्राथमिकता देयन करने के पूर्व अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।

** ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्था आवंटित हुई है और आवंटन से पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही करने से पूर्व सहायता केन्द्र से दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है।

प्रवेश निरस्तीकरण :-काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा आवंटित संस्था/सहायता केन्द्र पर उपलब्ध नहीं रहेगी।

प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि यैवसाइट www.dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में समिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

संपर्क:-0755-6720205, 2660441 ईमेल:-dtehelpcenter@mponline.gov.in


**संचालक तकनीकी शिक्षा
 मध्यप्रदेश**